दैनिक भास्कर

पटना 03-03-2023

के लिए कह रहे हैं। वक्त निकल गया है। | की सेवा की बाध्यता लगा दी गई, ताजा मामला एनआईआईएस

# राज्य के विरासत वृक्षों का सर्वे शुरू, संरक्षण को ₹10 हजार प्रति वृक्ष मिलेंगे

सिटी रिपोर्टर | पटना

राज्य के विरासत वृक्षों का सर्वेक्षण शुरू है। जैव विविधता के द्वारा बनाए गए जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्षों को विरासत वृक्षों को चयन करने के लिए ट्रेनिंग दी गई है। पर्षद की ओर से फाइनल किए गए विरासत वृक्षों को संरक्षण और सुरक्षा के लिए विभाग प्रति वृक्ष 10 हजार रुपए देगा। यह राशि बीएमसी को दी जाएगी। बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद के सचिव डॉ. के. गणेश ने यह जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से अभी तक 14 हजार से अधिक पुराने वृक्षों की तस्वीर आ चुकी है। कोई 40 साल तो कोई 50 पुराने वृक्ष की तस्वीर है। स्थल पर जांच होने के बाद ही इन वृक्षों को विरासत वृक्ष में शामिल किया जाएगा। पटना, बक्सर, जहानाबाद, गया, मुजफ्फरपुर सहित प्रदेश के सभी जिला में बीएमसी अध्यक्षों को जैव विविधता के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। गुरुवार को रोहतास में पहली बार बीएमसी की ट्रेनिंग देने के दौरान उन्होंने ये बातें बताई।

बीएमसी अध्यक्षों की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पर्षद के सचिव डॉ. के. गणेश मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार द्वारा सभी अध्यक्षों एवं जनता को जैव विविधता अधिनियम, 2002 एवं संशोधित नियमावली का सामान्य परिचय देते हुए उद्देश्य बताया गया। साथ ही जैव विविधता प्रबंधन समिति के कार्य एवं लोक जैव विविधता पंजी के निर्माण में भूमिका एवं इसकी महत्ता से अवगत कराया गया। इस मौके पर जिला पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद से आए उप-निदेशक सुनील कुमार सिन्हा सहित कई अधिकारी एवं पदाधिकारी मौजूद थे।